

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 64/18

सरकार

बनाम

श्री : महाराज सिंह

पुत्र सरवन जाति गुजर

नि. कुतरपुर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 14/09/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री महाराज सिंह पुत्र श्री सरवन जाति गुजर निवासी कुतरपुर तहसील महवा ने संवत 2075 फसल रवि/ खरीफ मे ग्राम कुतरपुर की राजकीय आराजी खसरा नं. 163 रकबा 0-09 किस्म ऊ. म. राहदा भूमि से 0.04 रकबा पर अनाधिकृत रूप से बाजार कर अतिक्रमण किया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 1-12 का 50 गुना 565 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है तथा इस पर खडी फसल बाजार को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली तथा खडी फसल को नष्ट / नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11)
वर्ष 2018 में सेनटरी/फसल की राशि तावली रूपये 567.40 = 96/-
की जमा कायमी की गई।
तहसील महवा जिला दौसा
तहसील-महवा (दौसा)
तहसील महवा जिला दौसा